अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.)

न्यायालय श्रीमान्^~~जिलाध्यक्ष महोदय सतना,जिला सतना (म0प्र0)~~

R. 5087-दो/15

440
6-10-15

शंकर प्रसाद ब्रा0 तनय सुखलाल ब्रा0निवासी ग्राम रेउंसा तहसील नागौद, जिला सतना(म0प्र0)..निगराकार

बनाम

मध्य प्रदेश शासन जरिये पटवारी हल्का रेउसा तहसील नागौद जिला सतना (म0प्र0)...गैर निगराकार

श्री. जसराम विश्वकर्मा एड के द्वारा आज दिनांक 8-10-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

दावा निगरानी

निगरानी विरूद्व आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त जसो तहसील नागौद के रा0प्र0क्र0–28अ6अ/14–15 मे पारित आदेश दिनांक07/09/2015 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है।

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है।

गैर निगराकार/पटवारी हल्का रेउसा द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रेउसा की आ0नं0 वाकै ग्राम रेउसा तहसील नागौद मे स्थित है। जो कि म0प्र0शासन की भूमि है जिसमें अनावेदक/निगराकार द्वारा अवैधानिक रूप से मकान निर्माण वास्ते नीव का निर्माण कर लिया गया है। अतः बेदखली आदेश पारित किया जाय। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पंजीबद्व कर निगराकार को जरिये समन्स आहुत किया गया। निगराकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब वास्ते समय की याचना चाही गयी एव जबाब प्रस्तुत करने वास्ते मेरे द्वारा नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी फोटो प्रति मेरे पास है। नकल मुझे उपलब्ध नही हो पायी जिस कारण मुझे जबाब प्रस्तुत करने का समय दिया जाय। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब प्रस्तुत करने करने वास्ते समय व अवसर नही दिया जाकर दिनांक 07/09/2015 को जबाब का अवसर समाप्त कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर श्रीमान् के न्यायालय मे यह निगरानी प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। निगरानी के तथ्य एवं आधार निम्नलिखित है।

तथ्य एवं आधार

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/09/2015 विधि विरूद्व होने के कारण कायम रखे जाने योग्य नही है।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने मे काफी कानूनी भूल की गयी है। क्यो कि अधिनस्थ न्यायालय को निगराकार/अनावेदक को जबाब प्रस्तुत करने वास्ते पर्याप्त समय व अवसर दिया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय व अवसर नही दिया गया और ... किया गया है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5087-दो/15 जिला सतना

शंकर प्रसाद वि./ शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	1- प्रकरण आज ग्राह्यता पर आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री जसराम विश्वकर्मा के तर्क सुने गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी संहिता की धारा 50 के तहत नायब तहसीलदार वृत्त जसो, तहसील नागौद, जिला सतना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ-68/14-15 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 7-9-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर बताया गया है विवादित भूमि मध्यप्रदेश शासन की भूमि है, जिसमें आवेदक/ निगरानीकार द्वारा अवैधानिक रूप मकान निर्माण वाले नींव का निर्माण कर लिया गया है। निगरानीकार नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश करने की याचना की गयी किन्तु जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा दिनांक 7-9-15 को जवाब पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिससे जवाब पेश करने का अवसर दिलाया जावे। 4. नायब तहसीलदार के विवादित आदेश दिनांक 7.9.15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकार के जवाब पेश करने का अवसर चाहने के बावजूद समाप्त कर दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः नायब तहसीलदार जसो का विवादित आदेश दिनांक 7.9.15 निरस्त करते	

[क्र. प. उ.

R 5087/11/15

(चलना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उनके न्यायालय के आवेदक शेखर प्रसाद पा. को जवाब पेश करने का एक अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जावे। प्रकरण निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है। 5. आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। 18.12.15 (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य. राजस्व मण्डल. म.प्र.)	